न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
42 / 2024	02.04.2024	30.04.2024

पीठासीन अधिकारी— शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

उनवान

1— प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जी शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी 406—सुधा सागर कोम्पलैक्स, बाल मन्दिर के पास कोटा, जिला कोटा राज0

(प्रार्थी)

वनाम

1— राधाकिशन आत्मज हजारीलाल जाति मीना निवासी काशीपुरा तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0

2— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से — श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिपक्षी क्रम 1 की ओर से— श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट

प्रतिपक्षी क्रम 2 की ओर से— तहसीलदार दीगोद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, सपठित धारा 131 भू0राजस्व अधिनियम बाबत नक्शा दुरूस्ती

निर्णय

प्रार्थी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1— संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी में ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद में अन्य भूमियों के साथ खसरा नम्बर 927 / 339 की 0.35 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जो ओद्योगिक प्रयोजनार्थ है।

2— यह कि प्रतिपक्षी नं0 1 के खाते में ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 339 की 0.04 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है।

3— यह कि पूर्व में राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में उत्तर दिशा में प्रतिपक्षी नं0 1 खसरा नम्बर 339 की भूमि दर्ज चली आ रही थी तथा दक्षिण दिशा में प्रार्थी की खसरा नम्बर 927 / 339 की भूमि दर्ज चली आ रही थी ओर मोके पर इसी अनुसार प्रार्थी व प्रतिपक्षी काबिज है।

4— यह कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में प्रतिपक्षी नं0 1 की उत्तर दिशा की खसरा नम्बर 339 के स्थान पर प्रार्थी की खसरा नम्बर 927 / 339 एवंम दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 327 / 339 के स्थान पर 339 दर्ज कर दिया हे जो बिलकुल गलत है। इस कारण राजस्व नक्शा ट्रेस में जहां खसरा नम्बर 327 / 339 दर्ज हे, के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

नम्बर 339 दर्ज किया जाना व खसरा नम्बर 339 के स्थान पर खसरा नम्बर 327/339 दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रार्थी ने प्रतिपक्षी क्र0 2 को राजस्व रिकार्ड में नक्शा उपरोक्त प्रकार से दुरूस्ती करने हेतु दिनांक 27.03.2024 को कहा गया परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण प्रार्थी के लिये माननीय न्यायालय में नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में तथा प्रतिपक्षीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा पारित की जावे

1 कि ग्राम पोलाई कलां तहसील दीगोद के नक्शा ट्रेस में वर्तमान दर्ज खसरा नम्बर 327/339 के स्थान पर खसरा नम्बर 339 तथा खसरा नम्बर 339 के स्थान पर खसरा नम्बर 327/339 दर्ज कर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाकर राजस्व नक्शा ट्रेस में उपरोक्त प्रकार से अमल दरामद करवाया जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे।

प्रार्थी की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये

1— नकल जमाबन्दी खाता संख्या 130 ग्राम पोलाई कलां सम्वत 2075—2078
2— नकल जमाबन्दी ग्राम पोलाई कलां सम्वत 2075—2078 खाता सं0 254
3— नक्शा ट्रेस पुराना

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। प्रतिपक्षी क्रम 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र की प्रत्येक मद को स्वीकार किया जाकर नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं की है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 327/339 के स्थान पर खसरा नम्बर 339 दर्ज किया जाना व खसरा नम्बर 339 के स्थान पर खसरा नम्बर 327/339 दर्ज किया जाने में सहमति व्यक्त की है। तथा प्रतिपक्षी क्रम 2 तहसीलदार दीगोद से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड व नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 339 रकबा 0.04 हेक्टर दक्षिण दिशा मे दर्शाया हे परन्तु खसरा नम्बर 339 का रकबा रिपोर्ट पटवारी अनुसार 0.35 हेक्टर है। खसरा नम्बर 339 का खातेदार प्रतिपक्षी न0 1 है, खसरा नम्बर 927/339 रकबा 0.35 हेक्टर प्रार्थी के खाते दर्ज है जो वर्तमान नक्शा अनुसार उत्तर दिशा में दर्शायी गयी है। रकबा बरारी करने पर नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 927/339 का रकबा 0.04 हेक्टर है। नक्शा परिवर्तन किये जाने की स्थिति मे राजहित प्रभावित नही है।

तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को शामिल मिसल किया गया। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता एवं प्रतिपक्षीगण की बहस सुनी गयी।

पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड एवं जवाब प्रतिपक्षीगण एवं अन्य संलग्न दस्तावेजात का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रतिपक्षी क्रम 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में नक्शा दुरूस्ती हेतु किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गई है। नक्शा ट्रेस में रिकार्ड अनुसार त्रुटि होना कारित होना पाया गया। नक्शा ट्रेस में वर्तमान रिकार्ड अनुसार दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

९५

तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व नक्शा ट्रेस में जहां खसरा नम्बर 327 / 339 दर्ज हे, के स्थान पर खसरा नम्बर 339 दर्ज किया जाने व खसरा नम्बर 339 के स्थान पर खसरा नम्बर 327 / 339 दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती की जाकर नक्शा में मुताबिक पारित निर्णय अनुसार तरमीम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)